कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 93

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	4188.40	611.15	4799.55	6977.73	797.90	7775.63	4469.83	708.71	5178.54	4623.35	800.57	5423.92
	पूंजी	***19.40***	*158.24*	*177.64*	*22.27*	*38.51*	*60.78*	*30.17*	*101.84*	*132.01*	*7.65*	*0.02*	*7.67*
	जोड़	**4207.80**	**769.39**	**4977.19**	**7000.00**	**836.41**	**7836.41**	**4500.00**	**810.55**	**5310.55**	**4631.00**	**800.59**	**5431.59**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	14.68	14.68	...	18.70	18.70	...	19.00	19.00	...	21.00	21.00
ग्राम और लघु उद्योग													
हथकरघा उद्योग													
2. हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं													
2.01 समेकित हथकरघा विकास योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58.43	...	58.43
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.92	...	40.92
	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.65	...	7.65
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*107.00*	*...*	*107.00*
2.02 समेकित हथकरघा विकास योजना	2851	16.40	...	16.40	105.56	...	105.56	39.31	...	39.31	...	...	...
	3601	202.84	...	202.84	63.79	...	63.79	91.04	...	91.04	...	...	...
	3602	0.10	...	0.10	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	...	...	...
	जोड़	*219.34*	*...*	*219.34*	*170.00*	*...*	*170.00*	*131.00*	*...*	*131.00*	*...*	*...*	*...*
2.03 हथकरघों के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज	2851	200.00	...	200.00	2205.00	...	2205.00	550.00	...	550.00	157.00	...	157.00
2.04 विपणन और निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम	2851	45.84	...	45.84	43.00	...	43.00	35.00	...	35.00	...	...	...
	4851	7.60	...	7.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
	जोड़	*53.44*	*...*	*53.44*	*48.00*	*...*	*48.00*	*40.00*	*...*	*40.00*	*...*	*...*	*...*
जोड़- हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		*472.78*	*...*	*472.78*	*2423.00*	*...*	*2423.00*	*721.00*	*...*	*721.00*	*264.00*	*...*	*264.00*
3. अन्य हथकरधा योजनाएं													
3.01 विविध हथकरघा विकास योजना	2851	2.78	...	2.78	5.38	...	5.38	5.48	...	5.48	...	...	...
	3601	...	...	...	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	...	...	...
	4851	9.59	...	9.59	14.27	...	14.27	19.17	...	19.17	...	...	...
	जोड़	*12.37*	*...*	*12.37*	*20.00*	*...*	*20.00*	*25.00*	*...*	*25.00*	*...*	*...*	*...*
3.02 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	28.67	28.67	...	32.50	32.50	...	32.31	32.31	...	35.00	35.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3.03 हथकरधा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	68.21	...	68.21	104.50	...	104.50	104.50	...	104.50	64.50	...	64.50
	3601	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*68.21*	*...*	*68.21*	*105.00*	*...*	*105.00*	*105.00*	*...*	*105.00*	*65.00*	*...*	*65.00*
3.04 मिल गेट मूल्य येाजना	2851	54.26	...	54.26	350.00	...	350.00	123.00	...	123.00	96.50	...	96.50
3.05 संचित हथकरधा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष की छूट के अनुदान के लिए स्कीम	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*0.01*	*0.01*
3.06 अन्य	2851	...	16.36	16.36	...	26.50	26.50	...	26.99	26.99	...	28.99	28.99
	3601	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	4.00	4.00
	जोड़	*...*	*19.86*	*19.86*	*...*	*30.00*	*30.00*	*...*	*30.49*	*30.49*	*...*	*32.99*	*32.99*
जोड़- अन्य हथकरधा योजनाएं		*134.84*	*48.53*	*183.37*	*475.00*	*62.50*	*537.50*	*253.00*	*62.80*	*315.80*	*161.50*	*68.00*	*229.50*
जोड़-हथकरघा उद्योग		**607.62**	**48.53**	**656.15**	**2898.00**	**62.50**	**2960.50**	**974.00**	**62.80**	**1036.80**	**425.50**	**68.00**	**493.50**
हथकरघा उद्योग													
4. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं													
4.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	...	33.67	33.67	...	38.00	38.00	...	37.69	37.69	...	40.00	40.00
4.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	19.07	38.19	57.26	11.00	45.00	56.00	14.00	45.00	59.00	20.00	50.00	70.00
4.03 बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	53.63	...	53.63	37.00	...	37.00	37.00	...	37.00	3.00	...	3.00
4.04 विपणन सहायता और सेवाएं	2851	51.90	...	51.90	40.50	...	40.50	44.50	...	44.50	37.00	...	37.00
4.05 हस्तशिल्प व्यापक कल्याण योजना	2851	34.48	0.27	34.75	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	24.00	...	24.00
4.06 अनुसंधान और विकास	2851	5.23	...	5.23	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
4.07 मानव संसाधन विकास	2851	16.08	...	16.08	15.00	...	15.00	16.50	...	16.50	21.00	...	21.00
4.08 अन्य	2851	...	23.38	23.38	1.00	27.50	28.50	1.00	27.20	28.20	1.00	30.00	31.00
	4851	2.21	...	2.21	2.50	...	2.50	5.50	...	5.50	...	...	...
	जोड़	*2.21*	*23.38*	*25.59*	*3.50*	*27.50*	*31.00*	*6.50*	*27.20*	*33.70*	*1.00*	*30.00*	*31.00*
4.09 अवसंरचना परियोजनाएं	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	38.00	...	38.00
4.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़- अन्य हस्तशिल्प योजनाएं		*182.60*	*95.51*	*278.11*	*129.02*	*110.50*	*239.52*	*140.52*	*109.89*	*250.41*	*152.00*	*120.00*	*272.00*
ऊन उद्योग													
5. ऊन विकास बोर्ड													
5.01 ऊन विकास बोर्ड	2851	12.92	1.27	14.19	11.50	1.50	13.00	13.50	1.50	15.00	...	2.00	2.00
5.02 सामाजिक सुरक्षा योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए)

			वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.03	समेकित ऊन संवर्धन और विकास कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.50	...	18.50
5.04	ऊन और ऊनी सामग्री गुणता संसाधन योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
5.05	ऊन संवर्धन और विकास कार्यक्रम	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
5.06	पशमीना और अंगूरा सहित कच्चे ऊन का विपणन	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
5.07	विपणन और निर्यात संवर्द्धन योजना	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
5.08	मानव संसाधन विकास	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
5.09	संसाधन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़- ऊन विकास बोर्ड		*12.92*	*1.27*	*14.19*	*11.55*	*1.50*	*13.05*	*13.55*	*1.50*	*15.05*	*20.00*	*2.00*	*22.00*
रेशम उत्पादन														
6.	*केन्द्रीय रेशम बोर्ड*													
6.01	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	313.00	224.24	537.24	184.11	209.50	393.61	220.00	226.67	446.67	...	244.80	244.80
6.02	अन्य रेशम उत्पादन योजना	2851	...	1.29	1.29	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.43	1.43
6.03	आईएसईपीसी और एसएमओआई द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और तकनीकी उन्नयन	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
6.04	शोध और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण और आईटी पहल	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23.90	...	23.90
6.05	बीज संगठन	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
6.06	समन्वयन और बाजार विकास (एचआरडी)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.50	...	6.50
6.07	गुणवत्ता प्रमाणन योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
6.08	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	213.00	...	213.00
	जोड़- केन्द्रीय रेशम बोर्ड		*313.00*	*225.53*	*538.53*	*184.12*	*210.80*	*394.92*	*220.01*	*227.97*	*447.98*	*259.40*	*246.23*	*505.63*
विद्युतकरघा उद्योग														
7.	*अन्य विद्युतकरधा योजनाएं*													
7.01	अन्य विद्युतकरधा योजनाएं	2851	12.68	2.44	15.12	11.39	2.94	14.33	13.25	2.94	16.19	...	3.11	3.11
7.02	पावरलूम क्षेत्र विकास की समेकित योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31.00	...	31.00
7.03	समूह वर्कशेड योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
7.04	समूह बीमा योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
7.05	प्लेन पावरलूम के स्व-स्थाने उन्नयन की योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32.00	...	32.00
7.06	स्वास्थ्य बीमा योजना	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00
7.07	माडल पावरलूम विकास	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7.08 आपदा राहत कोष योजना	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
7.09 वर्कशेड और आवास	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
7.10 संवर्धित स्वच्छ व्यवहार - सफाई	2851	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़- अन्य विद्युतकरधा योजनाएं		*12.68*	*2.44*	*15.12*	*11.44*	*2.94*	*14.38*	*13.30*	*2.94*	*16.24*	*83.00*	*3.11*	*86.11*
अन्य													
8. मेगा क्लस्टर का विकास													
8.01 मेगा क्लस्टर का विकास	2851	36.50	...	36.50	24.00	...	24.00	64.44	...	64.44	...	...	...
8.02 सीएचसीटीएस - हस्तकला विशाल समूह	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26.00	...	26.00
8.03 सीएचसीटीएस - हथकरघा विशाल समूह	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26.00	...	26.00
8.04 सीएचसीटीएस - पावरलूम विशाल समूह	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.00	...	17.00
जोड़- मेगा क्लस्टर का विकास		*36.50*	*...*	*36.50*	*24.00*	*...*	*24.00*	*64.44*	*...*	*64.44*	*69.00*	*...*	*69.00*
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		**1165.32**	**373.28**	**1538.60**	**3258.13**	**388.24**	**3646.37**	**1425.82**	**405.10**	**1830.92**	**1008.90**	**439.34**	**1448.24**
उपभोक्ता उद्योग													
9. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी - जूट	2851	...	42.50	42.50	...	54.09	54.09	...	39.60	39.60	...	15.27	15.27
10. वस्त्र आयुक्त	2852	...	21.20	21.20	...	22.17	22.17	...	21.87	21.87	...	25.00	25.00
11. वस्त्र समिति को सहायता	2852	...	18.80	18.80	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	16.00	16.00
12. कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम													
12.01 राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	12.00	59.00	71.00	20.00	16.00	36.00	19.57	6.00	25.57	59.00	6.00	65.00
12.02 राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (दिल्ली केंद्र) को अनुदान	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.03 फैशन और वस्त्र शिक्षा योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.04 अनुसंधान एवं विकास	2852	7.43	...	7.43	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	51.00	...	51.00
12.05 कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	4.70	4.70	...	8.00	8.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
12.06 अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	...	...	...	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.98	...	1.98
12.07 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि येाजना (टीयूएफएस)	2852	2935.09	...	2935.09	2775.80	...	2775.80	2186.94	...	2186.94	2400.00	...	2400.00
12.08 कपास प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम)	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.09 मूल्य समर्थन के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	2852	...	21.50	21.50	...	200.00	200.00	...	120.53	120.53	...	200.00	200.00
12.10 ईएमडी / बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	0.54	0.54	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12.11 समेकित कपड़ा पार्कों से संबंधित	2852	77.43	...	77.43	113.00	...	113.00	113.00	...	113.00	300.00	...	300.00

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	योजना													
12.12	एसवीपीआईटीएम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वस्त्र शिक्षा के उन्नयन के नोडल केंद्र की योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.13	घरेलू बाजार विकास योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.14	समग्र परिधान विकास योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.15	समेकित प्रसंस्करण विकास योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.16	विशिष्ट रेशे की विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.17	तकनीकी वस्त्र मदों के लिए एचएस कोड की पहचान	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.18	तकनीकी वस्त्रोद्योग के डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	2.20	...	2.20	...	...	...
12.19	तकनीकी वस्त्र हेतु मानक	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.20	निर्यात बाजार आसूचना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.21	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टैक्स्टाइल्स के प्रयोग की योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.22	पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो- टैक्स्टाइल्स के संवर्धन की योजना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.23	अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्यमियों की सहायतार्थ चल निधियां स्थापित करना	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.24	अस्पताल संबंधी संक्रामक रोगों पर आंकड़े सृजित करने का अध्ययन	2852	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
12.25	अन्य	2852	1.25	5.71	6.96	...	5.65	5.65	...	6.56	6.56	0.01	7.91	7.92
12.26	तकनीकी कपड़ा (टीएमटीटी)	2852	18.11	...	18.11	29.20	...	29.20	29.20	...	29.20	43.00	...	43.00
12.27	मानव अनुसंधान विकास (आईएसडीएस)	2852	55.34	...	55.34	70.00	...	70.00	190.00	...	190.00	250.00	...	250.00
12.28	सामान्य अनुपालन संहिता	2852	3.50	...	3.50	3.51	...	3.51	3.51	...	3.51	4.00	...	4.00
12.29	समेकित संसाधन विकास योजना (एसपीपी)	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
	जोड़- कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम		*3110.15*	*91.45*	*3201.60*	*3019.87*	*230.65*	*3250.52*	*2552.77*	*139.09*	*2691.86*	*3158.99*	*219.91*	*3378.90*
13.	जूट आयुक्त	2852	...	3.27	3.27	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	5.00	5.00
14.	*जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम*													
14.01	जूट प्रौद्योगिकी मिशन	2852	...	...	...	22.00	...	22.00	71.41	...	71.41	0.01	...	0.01
14.02	बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00
14.03	अन्य	2852	...	2.44	2.44	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05
	जोड़- जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम		*...*	*57.44*	*57.44*	*22.00*	*59.05*	*81.05*	*71.41*	*59.05*	*130.46*	*0.01*	*59.05*	*59.06*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012 आयोजना	वास्तविक 2011-2012 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2011-2012 जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	बजट 2012-2013 आयोजना-भिन्न	बजट 2012-2013 जोड़	संशोधित 2012-2013 आयोजना	संशोधित 2012-2013 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2012-2013 जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	बजट 2013-2014 आयोजना-भिन्न	बजट 2013-2014 जोड़
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**3110.15**	**234.66**	**3344.81**	**3041.87**	**390.96**	**3432.83**	**2624.18**	**284.61**	**2908.79**	**3159.00**	**340.23**	**3499.23**
नागरिक आपूर्ति													
15. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
15.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	6860	...	57.06	57.06	...	0.01	0.01	...	34.74	34.74	...	0.01	0.01
15.02 बर्ड जूट तथा निर्यात लि0	6860	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	...	...
15.03 ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि0	6860	...	100.68	100.68	...	38.00	38.00	...	66.60	66.60	...	0.01	0.01
जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण		*...*	*158.24*	*158.24*	*...*	*38.51*	*38.51*	*...*	*101.84*	*101.84*	*...*	*0.02*	*0.02*
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान													
16.01 हथकरघा	2552	...	...	...	355.00	...	355.00	135.00	...	135.00	65.50	...	65.50
16.02 हस्तशिल्प	2552	...	...	...	47.50	...	47.50	47.50	...	47.50	43.00	...	43.00
	4552	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*48.00*	*...*	*48.00*	*48.00*	*...*	*48.00*	*43.00*	*...*	*43.00*
16.03 रेशम कीट पालन उद्योग	2552	...	...	...	73.89	...	73.89	80.00	...	80.00	92.60	...	92.60
16.04 जूट	2552	...	...	...	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
16.05 कपड़ा	2552	...	...	...	76.91	...	76.91	42.91	...	42.91	262.00	...	262.00
16.06 प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2552	...	...	...	138.20	...	138.20	136.09	...	136.09	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*700.00*	*...*	*700.00*	*450.00*	*...*	*450.00*	*463.10*	*...*	*463.10*
17. वास्तविक वसूलियां	2851	-8.09	-0.32	-8.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2852	-58.77	-11.15	-69.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-0.81	...	-0.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-67.67*	*-11.47*	*-79.14*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
कुल जोड़		***4207.80***	***769.39***	***4977.19***	***7000.00***	***836.41***	***7836.41***	***4500.00***	***810.55***	***5310.55***	***4631.00***	***800.59***	***5431.59***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	1097.65	...	1097.65	3258.13	...	3258.13	1425.82	...	1425.82	1008.90	...	1008.90
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	3110.15	...	3110.15	3041.87	...	3041.87	2624.18	...	2624.18	3159.00	...	3159.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	700.00	...	700.00	450.00	...	450.00	463.10	...	463.10
जोड़		**4207.80**	**...**	**4207.80**	**7000.00**	**...**	**7000.00**	**4500.00**	**...**	**4500.00**	**4631.00**	**...**	**4631.00**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए व्यवस्था है।

2.01. **व्यापक हथकरघा विकास योजना:** दो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं नामत: एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना बंद होने के बाद और उनके घटक विविधिकृत हथकरघा विकास योजना के साथ विलय होंगे ताकि व्यापक हथकरघा विकास योजना को कार्यान्वित किया जा सके। योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक होंगे:-

I. समूह विकास कार्यक्रम जिसमें मौजूदा हथकरघा समूह विकास के नए समूहों को समेकित करना शामिल है (एक समूह से कम आकार वाले और बाहरी समूह) और समूहों/समूह एप्रोच परियोजनाएं एवं विपणन प्रोत्साहन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।

II. राज्य हथकरघा निगम/शीर्ष सोसायटी बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को सुदृढ़ करने और पुनरूद्धार करने को शामिल करते हुए हथकरघा संस्थान का विकास करना और सुदृढ़ीकरण करना।

III. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने, निर्यात परियोजनाएं, शिल्प मेला, शहरी हाट, विशेष उत्पादों आदि के विकास के लिए डिजाइनर को काम पर लगाने सहित हथकरघा विपणन सहायता।

2.02. **एकीकृत हथकरघा विकास योजना:** यह योजना एकीकृत हथकरघा विकास योजना के साथ विलय कर दी गई है।

2.03. **हथकरघा पुनरूद्धार सुधार एवं पुनर्संरचना पैकेज:** इस योजना के तहत निधि मूल राशि के 100% के पुनर्भुगतान और ब्याज का 25% मुहैया करवाया जा रहा है वह ऋण आज की तारीख तक गैर उत्पादक परिसंपत्ति हो गई है और जो व्यवहार्य और संभाव्य व्यवहार्य प्रमुख बुनकर सहकारी समितियों व शीर्ष समितियों तथा व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, स्व:सहायता समूहों तथा हथकरघा बुनाई के प्रयोजनार्थ ऐसे ऋण लेने वाले संयुक्त दायित्व समूहों के संबंध में 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय है बशर्ते कि बैंक नए ऋण स्वीकृत करने के लिए सहमत हों। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के अतिदेयों को माफ करने के संबंध में जहां तक इस योजना के अंतर्गत निधियन का संबंध है प्रति व्यक्ति लाभार्थ के लिए 50,000 रु. की समग्र अधिकतम सीमा होगी।

2.04. **विपणन और निर्यात संवर्धन कार्यक्रम:** यह योजना एकीकृत हथकरघा विकास योजना के साथ विलय कर दी गई है।

3. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** इसमें बुनकर सेवा केद्रों के व्यय से संबंधित स्थापना के लिए प्रावधान; हथकरघा बुनकर संगठनों को सभी प्रकार के यार्न उस कीमत पर, जिस पर ये मिल गेट पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कराने के लिए मिल गेट मूल्य योजना, शामिल है। हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के दो संघटक हैं (i) देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और (ii) प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी बुनकर योजना। स्वास्थ्य बीमा कवर न केवल बुनकर के लिए है बल्कि उसकी पत्नी एवं दो बच्चों के लिए भी है।

4. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं::** इनमें डिजाइन और तकनीकी उन्नयन, बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन एवं सहायता सेवा, जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज, के लिए प्रावधान शामिल है। विपणन सहायता और सेवा योजना में निर्यात संवर्द्धन के लिए विपणन सहायता से संबंधित मध्यस्थता भी शामिल होगी। कल्याण योजना में कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम और कारीगरों के स्वास्थ्य बीमा योजना और ऋण गारंटी योजना के लिए निधियां भी शामिल हैं। प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना को व्यापक बनाया गया है और इसमें विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, गुरु शिष्य परम्परा इत्यादि जैसी समान योजनाओं के संघटकों को शामिल कर के मानव संसाधन विकास योजना को पुनर्गठित किया गया है। जम्मू व कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज में वचनबद्ध देयताओं को सुकर बनाने के लिए निधियां शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास योजना में कारीगरों की गणना भी शामिल होगी। इसमें अवसंरचना और प्रोद्योगिकी विकास परियोजनाएं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं। बजट में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए केद्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए योजनागत और प्रशासनिक व्यय के लिए आयोजना-भिन्न प्रावधान शामिल हैं।

5. **ऊन विकास बोर्ड:** इस योजना के तहत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास के लिए ऊन विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियाजनाओं के संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये योजनाएं हैं (i) एकीकृत ऊन उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम (ii) ऊन तथा ऊनी उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण (iii) भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को आयोजना-भिन्न के अधीन आबंटन में शामिल किया गया है।

6. **केंद्रीय रेशम बोर्ड:** इस प्रावधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रशासन शामिल है। बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और उनमें उद्योग के समस्त पहलू शामिल हैं ताकि उसके नियंत्रणाधीन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके और इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का विपणन, सांख्यकीय आंकड़े एकत्रित करने, अपरिष्कृत रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का उत्तरदायित्व शामिल है। बजटीय प्रावधान में कृषि आधारित रेशम उत्पादन उद्योग का विकास करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित सहायता और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य द्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती रेशम का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यचालन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियां लागू करके निर्यात आय बढ़ाना है।

6.02. **अन्य रेशम कीट पालन योजना:** इस प्रावधान में रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

6.03. **आईएसइपीसी और एसएमओआइ द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन:** रेशम प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के नवाचार, मानकीकरण और प्रचार प्रसार हेतु एक 'डिजाइन बैंक' और रेशम और रेशमी उत्पादों संबंधी राष्ट्रीय बाजार सूचना सेवा (एनएमआईएसएस) स्थापित किया जाएगा।

7. **अन्य विद्युतकरघा योजनाएं:** यह प्रावधान समूह बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों के कल्याण के लिए नए डिजाइन प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत एवं लघु विद्युतकरघा एककों को सहायता देने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजायन केंद्रों के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए; समूह कार्यशाला योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों को कार्य का बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं के निर्माण और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के प्रशासनिक खर्च के लिए अनुदान के लिए है।

7.05. **साधारण विद्युतकरघों के संस्थागत उन्नयन हेतु योजनाए:** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निम्न श्रेणी के मौजूद साधारण विद्युतकरघा इकाईयों की उनके करघों का उन्नयन करके उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

7.06. **स्वास्थ्य बीमा योजना:** स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय दृष्टि से बिजली करघा कर्मिकों/बुनकर को देश में सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करता है

8.02. **व्यापक हस्तशिल्प मेगा समूह विकास योजना::** सार्वजनिक निधि साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर हस्तशिल्प मेगा कलस्टर के विकास हेतु 5 केंद्रों यथा नारासपुर (आंध्र प्रदेश) एवं मुरादाबाद(उत्तर प्रदेश), मिर्जापुर-भदोही(उत्तर प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) एवं जोधपुर (राजस्थान) को शामिल करना।

8.03. **व्यापक हथकरघा मेगा समूह विकास योजना:** वाराणसी(यूपी), शिवसागर(असम), विरूधूनगर (तमिलनाडु), पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और गुंटूर जिले तथा झारखण्ड के गौड्डा एवं निकटवर्ती जिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर मेगा समूह को शामिल करने के लिए।

8.04. **व्यापक विद्युतकरघा मेगा समूह विकास योजना::** सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति आधार पर भिवण्डी (महाराष्ट्र), इरोड(तमिलनाडु), भीलवाडा(राजस्थान), इचलकरंजी(महाराष्ट्र) में मेगा समूह विकसित करने के लिए।

9. **पटसन पर उपकर संग्रहण में से भुगतान:** पटसन विनिर्माण विकास परिषद को विभिन्न निर्धारित कार्यों के लिए पटसन पर उपकर संग्रहण करने की व्यवस्था है।

10. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युतकरघा सेवा केद्रों का संचालन करता है,प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वियन की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों आदि के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है।

11. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को निर्यात के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी का लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

12.01. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) को अनुदान:** इस योजना में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों और सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने की तर्ज पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों में अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु अवसरंचना विकास के लिए प्रावधान शामिल है। अन्य के अतिरिक्त इस खाते में हुआ व्यय मुख्यतया निर्माण और प्रशिक्षण सहायता के लिए होगा।

12.04. **अनुसंधान और विकास:** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है।

12.05. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले कामगारों के लिए परिवर्ती समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें ।

12.07. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके। यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों) द्वारा चलाई जा रही है।

12.09. **भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम, समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है।

12.10. **एईपीसी को अनुदान:** यह प्रावधान परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) को भुगतान के लिए है।

12.11. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, (एसआईटीपी) अपैरल वस्त्र पार्कों को मिलाकर और वस्त्र विकास केंद्रों की अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन कर शुरू की गई है। एसआईटीपी शुरू करने का एक प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

12.26. **तकनीकी वस्त्र: (टी.एम.टी.टी.):** इसका उद्देश्य परीक्षण सुविधाओं, बाजार विकास सहायता के अभाव, दक्ष जनशक्ति, अनुसंधान एवं विकास, उन्नत नियामक उपायों, तकनीकी वस्त्रों आदि के लिए विनिर्दिष्टियां एवं मानक तैयार करने के रूप में आधारभूत अवसंरचना का सुधार करना है।

12.27. **मानव संसाधन विकास (आइ एस डी एस):** सामान्यत: इसे एकीकृत कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना कौशल सृजन पर सरकार के व्यापक बल का अंग है अर्थात विनिर्माण एवं वस्त्र क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ को बढाने के लिए आवश्यक है।

12.28. **सामान्य अनुपालन कोड::** इस योजना का उद्देश्य अपैरल, विनिर्माण तथा निर्यात में सामाजिक अनुपालन हेतु भारत को वैश्विक बैंचमार्क बनाना है। इससे परिधान निर्यातकों के लिए अनुपालन मानकों की जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य अनुपालन मानकों की समझ सृजित होगी।

12.29. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (एस.पी.पी.):** इस योजना का उद्देश्य वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग को पर्यावरणानुकूल प्रसंस्करण मानक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सुविधाएं प्रदान करना और कारपोरेट निकाय में साम्या रखने वाले उद्यमियों के समूह द्वारा संवद्धित एंव प्रबंधित एक विशेष परियोजना तंत्र के माध्यम से

सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर विशेषकर जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करना तथा मौजूदा प्रसंस्करण समूहों /केंद्रों का उन्नयन करना है।

13. **पटसन आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है। वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी संचालित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है।

14. **पटसन आदि के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम:** (i) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केंद्र, पटसन सेवा केंद्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजाइन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता और विविधीकृत पटसन क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलापों के लिए योजनाएं चलाता है। (ii) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधिकरण तथा बाजार विकास आधुनिकीकरण जमा मशीनरी के माध्यम से मूल्यवर्धन एवं बाजार पहुंच और कौशल उन्नयन अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को अंशदान देना है।

15. **सार्वजनिक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** यह प्रावधान मंत्रालय के तहत रूग्ण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, बर्ड जूट एवं निर्यात लि. और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

16. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।